न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं0– MP-38/2017

धारा–144 द०प्र०सं०

धनीराम महतो.....प्रथम पक्ष

बनाम

मदन महतो वगैरह.....द्वितीय पक्ष

	आदेश	

13.11.2017

प्रस्तुत वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन किया गया है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा निम्न विवादित जमीन अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है। उन्होने द0 प्र0 सं0 की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विवादित जमीन का विवरण

मौजा –बारूहातु, थाना –सोनाहातु

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
313	1449	25 डी0	उ०–अनिल महतो द०–नहर पू०–महीराम महतो प०–ठुलु महतो

उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने अपने समर्थन में बताया गया है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष के पूर्वज मोती महतो ने निबंधित केवाला पट्टा से कय किया गया है। जिसका निबंधन पट्टा सं0–2540 है, जो सन् 1980 ई0 में कय किया गया है। कय करने के पश्चात दखलकार हुए एवं माल गुजारी रसीद भी प्रथम पक्ष के पूर्वज मोती महतो के नाम से निर्गत होता है। द्वितीय पक्ष के द्वारा विवादित जमीन को प्रथम पक्ष के पिता उदय महतो से सन् 1992 ई0 को कय किये है, कहना सरासर गलत है। क्योंकि विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष के पिता के जीवनकाल में द्वितीय पक्ष ने कभी भी दावा नहीं किया। इसे इस मंशा को दर्शाता है कि द्वितीय पक्ष गलत तरीके से विवादित जमीन को दावा कर रहे है। विवादित जमीन की विस्तृत जानकारी के लिए कागजातों की गहन जाँच पड़ताल एवं गवाही की आवश्यकता होगी। उन्होने द0 प्र0 सं0 की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने समर्थन में उल्लेख किये है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष के पिता उदय महतो ने सन् 1992 ई0 को द्वितीय पक्ष के सदस्यों पलटु महतो वो नेहरू महतो वो मदन महतो वो टहलु महतो सभी पेशरान स्व0 गोविन्द महतो के नाम निबंधन पट्टा से बिकी कर दिये। कय करने के पश्चात दखलकार हुए। परन्तु किसी कारण वश दाखिल– खारिज नहीं करा सके। वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत है। उन्होने प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को द0 प्र0 सं0 की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने को लेकर बहस को सुनने एवं अपने समर्थन में प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में दखल– कब्जा को लेकर विवाद है।

Scanned by CamScanner

13.11.2017

वाद में कागजातों की जाँच पड़ताल एवं गवाही की पुष्टी द0 प्र0 सं0 की धारा–144 के तहत नहीं किया जा सकता है। अतः विवादित जमीन को लेकर वाद में उभय पक्ष के विरूद्ध धारा–145 द0 प्र0 सं0 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है। उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 13.12.17 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

13/11/17
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।

13/11/17
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।

Scanned by CamScanner